जीएसटी में कर बीजक और ऐसे अन्य दस्तावेज

परिचय

सामान्य शब्दों में बीजक, एक विक्रेता द्वारा एक क्रेता को जारी किए जाने वाला एक वाणिज्यिक दस्तावेज होता है। यह व्यापार करने वाले दोनों पक्षों को चिन्हित करता है और बेची गई वस्तुओं को सूचीबद्ध करता है, इनका ब्यौरा देता है तथा इनको परिमाणित करता है, माल भेजने की तिथि दर्शाता है और परिवहन का माध्यम, मूल्य तथा छूट, यदि कोई हो, को दर्शाता है और आपूर्ति तथा भुगतान की शर्तें दर्शाता है।
कुछ मामलों में (विशेष रूप से जब इस पर विक्रेता अथवा विक्रेता के एजेंट के हस्ताक्षर होते हैं) एक बीजक भुगतान की मांग के दस्तावेज का कार्य करता है और जब इसका पूरा भुगतान कर दिया जाता है तो यह अधिकार का दस्तावेज बन जाता है। बीजकों के प्रकार में वाणिज्यिक बीजक, वाणिज्यदूतीय बीजक, सीमा शुल्क बीजक, और प्रपत्र बीजक शामिल हैं। इसे बिक्री बिल अथवा विक्रय संविदा भी कहा जाता है।

बिक्री का बिल या बिक्री का अनुबंध

जीएसटी के तहत बीजक

जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत “बीजक” अथवा “कर बीजक” का अर्थ सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 31 में उल्लिखित कर बीजक से है। इस धारा के अंतर्गत वस्तुओं अथवा सेवाओं की प्रत्येक आपूर्ति के लिए बीजक अथवा आपूर्ति का एक बिल जारी करने का अधिदेश दिया गया है। यह आवश्यक नहीं है कि केवल वस्तुओं अथवा सेवाओं की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति को बीजक जारी करने की आवश्यकता है। जीएसटी कानून में यह अधिदेश दिया गया है कि किसी भी पंजीकृत व्यक्ति को किसी अपंजीकृत व्यक्ति से वस्तुएं अथवा सेवाएं क्रय करने पर एक भुगतान बीजक और एक कर बीजक जारी करना आवश्यक है। जारी किए जाने वाले बीजक का प्रकार आपूर्ति करने वाले पंजीकृत व्यक्ति की श्रेणी पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई पंजीकृत व्यक्ति आपूर्ति कर रहा है अथवा प्राप्त कर रहा है (अपंजीकृत व्यक्ति से) तो ऐसे पंजीकृत व्यक्ति द्वारा एक कर बीजक जारी किया जाना आवश्यक होगा। तथापि यदि कोई पंजीकृत व्यक्ति केवल छूट-प्राप्त वस्तुओं की आपूर्ति कर रहा है अथवा प्राप्त कर रहा है अथवा संयोजन योजना (संयोजन डीलर) का लाभ ले रहा है तो ऐसे पंजीकृत व्यक्ति को बीजक के स्थान पर एक आपूर्ति बिल जारी करने की आवश्यकता है। बीजक में विवरण, मात्रा तथा मूल्य और ऐसा अन्य निर्धारित ब्यौरा (वस्तुओं की आपूर्ति के मामले में) और विवरण तथा मूल्य और ऐसा अन्य निर्धारित ब्यौरा (सेवाओं की आपूर्ति के मामले में) होना चाहिए। विनिर्धारित शर्तों के अधीन यदि आपूर्ति का मूल्य 200/- रुपये से कम है तो बीजक अथवा आपूर्ति का बिल जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

जीएसटी के अंतर्गत कर बीजक का महत्व

जीएसटी के अंतर्गत कर बीजक एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह न केवल वस्तुओं अथवा सेवाओं की आपूर्ति का प्रमाण होता है बल्कि प्राप्तकर्ता के लिए भी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) प्राप्त करने हेतु एक अनिवार्य दस्तावेज होता है। एक पंजीकृत व्यक्ति तब तक इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास एक कर बीजक अथवा एक डेबिट नोट न हो। जीएसटी आपूर्ति के समय देय होता है। बीजक आपूर्ति के समय का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। मोटे तौर पर वस्तुओं अथवा सेवाओं की आपूर्ति का समय बीजक जारी करने अथवा भुगतान प्राप्त होने की तिथि होता है, जो भी पहले हो।
इस प्रकार, जीएसटी के अंतर्गत बीजक के महत्व पर आवश्यकता से अधिक जोर नहीं दिया जा सकता। यह कहना पर्याप्त होगा कि कर बीजक आपूर्ति के प्रमाण के लिए एक प्राथमिक दस्तावेज होता है और इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण होता है।

एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा कब एक कर बीजक अथवा आपूर्ति का बिल जारी किया जाना चाहिए वस्तुएं

बीजक जारी करने का समय आपूर्ति की प्रकृति पर निर्भर करेगा अर्थात यह वस्तुओं की आपूर्ति है अथवा सेवाओं की आपूर्ति है। कर योग्य वस्तुओं की आपूर्ति करने वाला एक पंजीकृत व्यक्ति वस्तुओं को निकालते समय (जहां आपूर्ति के लिए वस्तुओं को कहीं ओर ले जाया जाना है) अथवा सुपुर्दगी अथवा प्राप्तिकर्ता को उपलब्ध कराते समय एक कर बीजक जारी करेगा जिसमें वस्तुओं का विवरण, मात्रा तथा मूल्य, इस पर लगाया गया कर और ऐसा अन्य ब्यौरा दर्शाया जाएगा जो बीजक नियमों में निर्धारित है।
सरकार परिषद की सिफारिश पर अधिसूचना जारी करके उन वस्तुओं अथवा आपूर्तियों की श्रेणियां विनिर्धारित कर सकती है जिनके लिए निर्धारित समय में तथा पद्धति से एक कर बीजक जारी किया जाना है।

बीजक की विषय-वस्तु

बीजक के लिए कोई प्रारूप निर्धारित नहीं किया गया है, तथापि बीजक नियमों के अनुसार बीजक में निम्नलिखित ब्यौरा होना अनिवार्य है (केवल लागू सूचना भरी जानी है):
(क) आपूर्तिकर्ता का नाम, पता और जीएसटीआईएन;
(ख) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अलग एक अथवा बहु श्रेणी में एक लगातार क्रम संख्या, जिसमें अक्षर अथवा संख्या अथवा विशेष अक्षर हाइफन अथवा डैश और स्लैश जिन्हें “-” और “/” के रूप में चिह्नित किया गया है और इनमें से किन्हीं का संयोजन हो;
(ग) जारी किए जाने की तिथि;
(घ) प्राप्तकर्ता का नाम, पता और जीएसटीआईएन अथवा यूआईएन, यदि पंजीकृत हो;
(ड.) राज्य के नाम तथा इसके कोड सहित प्राप्तकर्ता का नाम तथा पता और आपूर्ति का पता, यदि ऐसा प्राप्तकर्ता अपंजीकृत है और जहां कर योग्य आपूर्ति का मूल्य पचास हजार रुपये अथवा इससे अधिक है;
(च) वस्तुओं का एचएसएन कोड अथवा सेवाओं का लेखा कोड;
(छ) वस्तुओं अथवा सेवाओं का विवरण;
(ज) वस्तुओं के संबंध में मात्रा और इसकी इकाई अथवा अद्वितीय मात्रा कोड;
(झ) वस्तुओं अथवा सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति का कुल मूल्य;
(ञ) छूट अथवा कमी, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए वस्तुओं अथवा सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति का कर योग्य मूल्य;
(ट) कर की दर (केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्यक्षेत्र कर अथवा उपकर);
(ठ) कर योग्य वस्तुओं अथवा सेवाओं के संदर्भ में लिए गए कर की राशि (केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्यक्षेत्र कर अथवा उपकर);
(ड) राज्य के नाम के साथ आपूर्ति का स्थान, यदि अंतरराज्यिक व्यापार अथवा वाणिज्यिक आपूर्ति हो;
(ढ) सुपुर्दगी का स्थान जहां यह आपूर्ति के स्थान से अलग है;
(ण) क्या कर रिवर्स चार्ज आधार पर दिया जाना है; और
(त) आपूर्तिकर्ता अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर अथवा डिजिटल हस्ताक्षर।

जी एस टी
जीएसटी में कर बीजक और ऐसे अन्य दस्तावेज

1 राष्ट्र 1 कर 1 बाजार
जीएसटी

हमारा अनुसरण करें
@CBEC_India
@askGST_GoI
cbecindia

सत्यमेव जयते

जी एस टी
माल और सेवा कर

जीएसटी में कर बीजक और ऐसे अन्य दस्तावेज

करदाता सेवा महानिदेशालय
केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड
www.cbec.gov.in

आपूर्ति के बिल का ब्यौरा

आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति का एक बिल जारी किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित ब्यौरा होगा:

(क) आपूर्तिकर्ता का नाम, पता और जीएसटीआईएॅन;
(ख) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अलग एक अथवा बहु श्रेणी में एक लगातार क्रम संख्या, जिसमें अक्षर अथवा संख्या अथवा विशेष अक्षर हाईफन अथवा डैश और स्लैश जिन्हें "-" और "/" के रूप में चिह्नित किया गया है और इनमें से किन्हीं का संयोजन हो;
(ग) जारी किए जाने की तारीख;
(घ) प्राप्तिकर्ता का नाम, पता और जीएसटीआईएन अथवा यूआईएन, यदि पंजीकृत हो;
(ड.) वस्तुओं का एचएसएन कोड अथवा सेवाओं का लेखा कोड;
(च) वस्तुओं अथवा सेवाओं अथवा दोनों का विवरण;
(छ) छूट अथवा कमी, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए वस्तुओं अथवा सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति का मूल्य;
(ज) आपूर्तिकर्ता अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर अथवा डिजिटल हस्ताक्षर।

सेवाएं

कर योग्य सेवाओं की आपूर्ति करने वाला एक पंजीकृत व्यक्ति सेवा उपलब्ध कराने से पहले अथवा बाद में परंतु एक निर्धारित अवधि के भीतर एक कर बीजक जारी करेगा जिसमें सेवाओं का विवरण, मूल्य, इस पर लगाया गया कर और ऐसा अन्य ब्यौरा दर्शाया जाएगा जो बीजक नियमों में निर्धारित है।

सरकार परिषद की सिफारिश पर अधिसूचना जारी करके और इसमें उल्लिखित शर्तों के अधीन उन सेवाओं की श्रेणियां विनिर्धारित कर सकती है जिनके संबंध में:

(क) आपूर्ति के संबंध में जारी किए गए किसी अन्य दस्तावेज को एक कर बीजक माना जाएगा; अथवा
(ख) कर बीजक जारी नहीं किये जाने की अनुमति हो।

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि वस्तुओं के मामले में आपूर्ति से पहले अथवा आपूर्ति के समय एक बीजक जारी किया जाना होता है। तथापि सेवाओं के मामले में सेवा उपलब्ध कराने से पहले अथवा बाद में बीजक जारी किया जाना होता है। यदि सेवा उपलब्ध कराने के बाद बीजक जारी किया जाता है तो यह बीजक नियमों के अनुसार सेवा उपलब्ध कराने की तारीख के 30 दिन की विनिर्धारित अवधि के भीतर किया जाना होगा।

संशोधित बीजक

एक पंजीकृत व्यक्ति पंजीकरण का प्रमाण-पत्र जारी किए जाने की तिथि से एक माह के भीतर और बीजक नियमों में निर्धारित पद्धति से पंजीकरण की प्रभावी तिथि से उसे पंजीकरण का प्रमाण-पत्र जारी किए जाने की तिथि तक की अवधि के दौरान जारी किए जा चुके बीजक के लिए संशोधित बीजक जारी कर सकता है। यह प्रावधान अनिवार्य है क्योंकि जो व्यक्ति पंजीकरण कराने के लिए उत्तरदायी है उसे पंजीकरण के लिए उत्तरदायी बनने के 30 दिन के भीतर पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। जब निर्धारित समयावधि में ऐसा आवेदन प्राप्त होता है और पंजीकरण कर दिया जाता है तो पंजीकरण की प्रभावी तिथि वह होती है जिस तिथि को वह व्यक्ति पंजीकरण के लिए उत्तरदायी बना। इस प्रकार पंजीकरण का प्रमाण-पत्र जारी करने की तिथि और पंजीकरण की प्रभावी तिथि के बीच कुछ समय का अंतराल होगा। ऐसे व्यक्ति द्वारा इस मध्यवर्ती अवधि में की गई आपूर्ति के लिए कानून के अंतर्गत एक संशोधित बीजक जारी करने की अनुमति है ताकि ऐसी आपूर्ति के प्राप्तिकर्ता द्वारा आईटीसी का लाभ लिया जा सके।

अग्रिम भुगतान की प्राप्ति पर प्राप्ति वाउचर/धन वापसी वाउचर

जब भी किसी पंजीकृत व्यक्ति को वस्तुओं अथवा सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति के संबंध में अग्रिम भुगतान प्राप्त होता है तो उसे एक प्राप्ति वाउचर अथवा कोई अन्य दस्तावेज जारी करना होता है जिसमें ऐसा ब्यौरा दिया गया हो जो ऐसे भुगतान के प्रमाण के लिए बीजक नियमों में निर्धारित किया गया है।
जहां ऐसा कोई प्राप्ति वाउचर जारी किया जाता है, परंतु बाद में कोई आपूर्ति नहीं की जाती और कोई कर बीजक जारी नहीं किया जाता तो जिस पंजीकृत व्यक्ति को अग्रिम भुगतान प्राप्त हुआ है वह ऐसे भुगतान के लिए वापसी वाउचर जारी कर सकता है।

एक प्राप्ति वाउचर में निम्नलिखित ब्यौरा होना चाहिए:

(क) आपूर्तिकर्ता का नाम, पता और जीएसटीआईएन;
(ख) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अलग एक अथवा बहु श्रेणी में एक निरंतर क्रम संख्या, जिसमें अक्षर अथवा संख्या अथवा विशेष अक्षर हाइफन अथवा डैश और स्लैश जिन्हें "-" और "/" के रूप में चिह्नित किया गया है और इनमें से किन्हीं का संयोजन हो;
(ग) जारी किए जाने की तिथि;
(घ) प्राप्तिकर्ता का नाम, पता और जीएसटीआईएॅन अथवा यूआईएन, यदि पंजीकृत हो;
(ड) राज्य के नाम तथा इसके कोड सहित प्राप्तिकर्ता का नाम तथा पता और आपूर्ति का पता, यदि ऐसा प्राप्तिकर्ता अपंजीकृत है और जहां कर योग्य आपूर्ति का मूल्य पचास हजार रुपये अथवा इससे अधिक है;
(च) वस्तुओं अथवा सेवाओं का विवरण;
(छ) ली गई अग्रिम राशि;
(ज) कर की दर (केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्यक्षेत्र कर अथवा उपकर);
(झ) कर योग्य वस्तुओं अथवा सेवाओं के संदर्भ में लिए गए कर की राशि (केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्यक्षेत्र कर अथवा उपकर);
(ञ) राज्य के नाम और इसके कोड के साथ आपूर्ति का स्थान, यदि अंतरराज्यिक व्यापार अथवा वाणिज्य में आपूर्ति हो;
(ट) क्या कर रिवर्स चार्ज आधार पर दिया जाना है; और
(ठ) आपूर्तिकर्ता अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर अथवा डिजिटल हस्ताक्षर।

बीजक नियमों में यह भी प्रावधान है कि यदि अग्रिम प्राप्त करने के समय,

(i) कर की दर निर्धारित नहीं की जा सकती तो कर 18% की दर से दिया जाएगा;
(ii) आपूर्ति की प्रकृति निर्धारित नहीं की जा सकती तो इसे अंतरराज्यिक आपूर्ति माना जाएगा।

रिवर्स चार्ज के अंतर्गत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा बीजक और भुगतान वाउचर

रिवर्स चार्ज के अंतर्गत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी एक पंजीकृत व्यक्ति (जिन आपूर्तियों पर रिवर्स चार्ज पद्धति के अंतर्गत कर देय है और जो आपूर्तियां अपंजीकृत व्यक्तियों से प्राप्त हुई हैं दोनों) को उसके द्वारा प्राप्त की गई वस्तुओं अथवा सेवाओं अथवा दोनों के संबंध में एक बीजक जारी करना होगा। ऐसे पंजीकृत व्यक्ति को ऐसी आपूर्तियों के संबंध में आपूर्तिकर्ता को भुगतान करते समय भी एक भुगतान वाउचर जारी करना होगा।

वस्तुओं की निरंतर आपूर्ति के मामले में बीजक

वस्तुओं की निरंतर आपूर्ति के मामले में जहां खातों के क्रमिक विवरण अथवा क्रमिक भुगतान किए गए हैं वहां प्रत्येक बार ऐसा विवरण जारी करने अथवा जैसा भी मामला हो, ऐसा प्रत्येक भुगतान प्राप्त होने से पहले अथवा उस समय
बीजक जारी किया जाएगा।

सेवाओं की निरंतर आपूर्ति के मामले में बीजक

(क) संविदा से भुगतान की नियत तिथि निर्धारित की जा सकती है, वहां बीजक भुगतान की नियत तिथि को अथवा इससे पहले जारी किया जाएगा;
(ख) संविदा से भुगतान की नियत तिथि निर्धारित नहीं की जा सकती है, वहां बीजक उस समय से पहले अथवा उस समय जारी किया जाएगा जब सेवाओं के आपूर्तिकर्ता को भुगतान प्राप्त होता है;
(ग) भुगतान किसी कार्य के पूरा होने से जुड़ा है वहां बीजक कार्य पूरा होने की तिथि को अथवा इस तिथि से पहले जारी किया जाएगा।

जहां किसी संविदा के अंतर्गत आपूर्ति पूरी होने से पूर्व सेवाओं की आपूर्ति बंद हो जाती है उन मामलों में बीजक जारी करना

जिस मामले में किसी संविदा के अंतर्गत आपूर्ति पूरी होने से पहले सेवाओं की आपूर्ति बंद हो जाती है उनमें बीजक तब जारी किया जाएगा जब आपूर्ति बंद होती है और ऐसा बीजक आपूर्ति बंद होने से पहले की गई आपूर्ति के लिए जारी किया जाएगा।

अनुमोदन आधार पर बिक्री

जहां बिक्री अथवा वापसी के अनुमोदन पर वस्तुएं भेजी अथवा ली जा रही हैं और उन्हें आपूर्ति किए जाने से पहले हटा लिया जाता है तो बीजक आपूर्ति के समय से पहले अथवा आपूर्ति के समय अथवा उन्हें हटाए जाने की तिथि से छः माह के भीतर जारी किया जाएगा, जो भी पहले हो।

क्रेडिट तथा डेबिट नोट

यदि किसी आपूर्ति के लिए कर बीजक जारी किया गया है और बाद में यह पाया जाता है कि उस बीजक में दर्शाया गया मूल्य अथवा लगाया गया कर वास्तव में देय/लागू मूल्य अथवा कर से अधिक है अथवा जहां प्राप्तकर्ता ने वस्तुएं वापस लौटा दी हैं वहां आपूर्तिकर्ता प्राप्तकर्ता को एक क्रेडिट नोट जारी कर सकता है। ऐसा क्रेडिट नोट जारी करने वाले एक पंजीकृत व्यक्ति को ऐसे क्रेडिट नोट का ब्यौरा उस महीने की विवरणी में घोषित करना होगा जिसके दौरान यह क्रेडिट नोट जारी किया गया है परंतु उस वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद आने वाले सितंबर तक जिसमें यह आपूर्ति की गई है अथवा संगत वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की तिथि तक घोषणा अवश्य करनी होगी, जो भी पहले हो। पंजीकृत व्यक्ति की कर देयता जारी किए गए क्रेडिट नोट के अनुसार समायोजित की जाएगी, तथापि यदि ऐसी आपूर्ति के लिए कर तथा ब्याज का भार किसी अन्य व्यक्ति पर डाल दिया गया है तो आपूर्तिकर्ता की आउटपुट कर देयता में किसी कमी की अनुमति नहीं दी जाएगी।
यदि किसी आपूर्ति के लिए कर बीजक जारी कर दिया गया है और बाद में यह पाया जाता है कि उस बीजक में लगाया गया मूल्य अथवा कर वास्तव में देय/लागू मूल्य अथवा कर से कम है तो आपूर्तिकर्ता प्राप्तिकर्ता को एक डेबिट नोट जारी कर सकता है।
यदि कोई पंजीकृत व्यक्ति वस्तुओं अथवा सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति के संबंध में एक डेबिट नोट जारी करता है तो वह ऐसे डेबिट नोट का ब्यौरा उस माह की विवरणी में घोषित करेगा जिसके दौरान यह डेबिट नोट जारी किया गया है और कर देयता निर्धारित पद्धति से समायोजित की जाएगी।

एक संशोधित कर बीजक और क्रेडिट अथवा डेबिट नोट में निम्नलिखित विवरण होना चाहिए:

(क) "संशोधित बीजक" शब्द, जहां लागू हो, प्रमुख रूप से दर्शाया जाना चाहिए;
(ख) आपूर्तिकर्ता का नाम, पता और जीएसटीआईएन;
(ग) दस्तावेज की प्रकृति;
(घ) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अलग एक अथवा बहु श्रेणी में एक निरंतर क्रम संख्या, जिसमें अक्षर अथवा संख्या अथवा विशेष अक्षर हाइफन अथवा डैश और स्लैश जिन्हें "-" और "/" के रूप में चिह्नित किया गया है और इनमें से किन्हीं का संयोजन हो;
(ड) दस्तावेज जारी किए जाने की तिथि;
(च) प्राप्तकर्ता का नाम, पता और जीएसटीआईएन अथवा यूआईएन, यदि पंजीकृत हो;
(छ) राज्य के नाम तथा इसके कोड सहित प्राप्तकर्ता का नाम तथा पता और आपूर्ति का पता, यदि ऐसा प्राप्तकर्ता अपंजीकृत है;
(ज) संगत कर बीजक, अथवा जैसा भी मामला हो, अपूर्ति के बिल की क्रम संख्या और तिथि;
(झ) वस्तुओं अथवा सेवाओं की कर योग्य आपूर्ति का मूल्य, कर की दर और प्राप्तकर्ता को क्रेडिट किए गए, अथवा जैसा भी मामला हो, डेबिट किए गए कर की राशि;
(ञ) आपूर्तिकर्ता अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर अथवा डिजिटल हस्ताक्षर।

बीजक जारी करने की पद्धति

वस्तुओं की आपूर्ति के मामले में बीजक निम्नलिखित प्रकार से तीन प्रतियों में बनाया जाएगा:

(क) मूल प्रति पर **प्राप्तकर्ता के लिए मूल प्रति** अंकित किया जाएगा;
(ख) दूसरी प्रति पर **परिवाहक के लिए दूसरी प्रति** अंकित किया जाएगा;
(ग) तीसरी प्रति पर **आपूर्तिकर्ता के लिए तीसरी प्रति** अंकित किया जाएगा।

सेवाओं की आपूर्ति के मामले में बीजक निम्नलिखित प्रकार से दो प्रतियों में बनाया जाएगा:

(क) मूल प्रति पर **प्राप्तकर्ता के लिए मूल प्रति** अंकित किया जाएगा;
(ख) दूसरी प्रति पर **आपूर्तिकर्ता के लिए दूसरी प्रति** अंकित किया जाएगा।

कर अवधि के दौरान जारी किए गए बीजकों की क्रम संख्या फॉर्म जीएसटीआर-1 में साझा पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत की जाएगी।

विशेष मामलों में कर बीजक

एक इनपुट सेवा वितरक द्वारा जारी किए गए एक आईएसडी बीजक अथवा, जैसा भी मामला हो, एक आईएसडी क्रेडिट नोट में निम्नलिखित ब्यौरा होना चाहिए:

(क) इनपुट सेवा वितरक का नाम, पता और जीएसटीआईएन;
(ख) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अलग एक अथवा बहु श्रेणी में एक निरंतर क्रम संख्या, जिसमें अक्षर अथवा संख्या अथवा विशेष अक्षर हाइफन अथवा डैश और स्लैश जिन्हें "-" और "/" के रूप में चिह्नित किया गया है और इनमें से किन्हीं का संयोजन हो;
(ग) इसे जारी किए जाने की तिथि;
(घ) प्राप्तकर्ता का नाम, पता और जीएसटीआईएन जिसको क्रेडिट वितरित किया गया है;
(ड) वितरित किए गए क्रेडिट की राशि;
(च) इनपुट सेवा वितरक अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर अथवा डिजिटल हस्ताक्षर।

विशेष मामलों में कर बीजक

जहां इनपुट सेवा वितरक एक बैंकिंग कम्पनी अथवा एक गैर-बैंकिंग कम्पनी सहित एक वित्तीय संस्था का कार्यालय हो वहां एक कर बीजक में इसके स्थान पर कोई और दस्तावेज शामिल होगा, इसे कोई भी नाम दिया जाए, चाहे यह क्रम संख्या में हो अथवा नहीं परंतु इसमें निर्धारित सूचना होनी चाहिए।
जहां कर योग्य सेवा का आपूर्तिकर्ता एक बीमाकर्ता अथवा एक बैंकिंग कम्पनी अथवा एक गैर-बैंकिंग कम्पनी सहित एक वित्तीय संस्था हो वहां उपर्युक्त आपूर्तिकर्ता एक कर बीजक अथवा इसके स्थान पर कोई अन्य दस्तावेज जारी करेगा जिसे किसी भी नाम से बुलाया जाए, चाहे यह क्रम संख्या में हो अथवा नहीं, और चाहे इसमें कर योग्य सेवा के प्राप्तकर्ता का पता हो या नहीं परंतु इसमें बीजक नियमों के नियम 1 के अंतर्गत निर्धारित अन्य सूचना होनी चाहिए।
जहां कर योग्य सेवा का आपूर्तिकर्ता एक माल ढुलाई वाहन में सड़क मार्ग से वस्तुओं को ले जाने से संबंधित सेवाओं की आपूर्ति करने वाली एक माल परिवहन एजेंसी है वहां उपर्युक्त आपूर्तिकर्ता एक कर बीजक अथवा इसके स्थान पर कोई अन्य दस्तावेज जारी करेगा जिसे किसी भी नाम से बुलाया जाए, इसमें माल का सकल भार, माल भेजने वाले और माल पाने वाले का नाम, माल ढुलाई वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर जिसमें माल ले जाया जा रहा है, ले जाई जा रही वस्तुओं का ब्यौरा, मूल स्थान और गंतव्य स्थान का ब्यौरा, कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति चाहे वह माल भेजने वाला हो, माल पाने वाला हो अथवा माल परिवहन एजेंसी हो, का जीएसटीआईएन, और बीजक नियमों के नियम 1 के अंतर्गत निर्धारित अन्य सूचना भी शामिल होगी।
जहां कर योग्य सेवा का आपूर्तिकर्ता यात्री परिवहन सेवा की आपूर्ति कर रहा है वहां एक कर बीजक में किसी भी रूप में टिकट, चाहे इसे किसी भी नाम से बुलाया जाए, चाहे यह क्रम संख्या में हो अथवा नहीं, और चाहे इसमें सेवा प्राप्त करने वाले का पता हो या न हो परंतु बीजक नियमों के नियम 1 के तहत निर्धारित अन्य सूचना शामिल हो।

बिना बीजक के वस्तुओं का परिवहन

निम्नलिखित मामलों में माल भेजने वाले को वस्तु हटाते समय बीजक के स्थान पर एक सुपुर्दगी चालान जारी करने की अनुमति है:

(क) तरल गैस की आपूर्ति जहां आपूर्तिकर्ता के कार्य स्थल से ले जाते समय मात्रा ज्ञात नहीं होती,
(ख) जॉब कार्य के लिए वस्तुओं का परिवहन,
(ग) आपूर्ति के अतिरिक्त किन्हीं अन्य कारणों से वस्तुओं का परिवहन, अथवा
(घ) ऐसी अन्य आपूर्तियां जो कि बोर्ड द्वारा अधिसूचित की जाएं।

अधिकतम 16 अक्षर की क्रम संख्या के साथ एक अथवा अधिक श्रेणियों में सुपुर्दगी चालान में निम्नलिखित ब्यौरा शामिल होगा:

(i) सुपुर्दगी चालान की तिथि और संख्या
(ii) माल भेजने वाले का नाम, पता और जीएसटीआईएन, यदि पंजीकृत हो
(iii) माल पाने वाले का नाम, पता और जीएसटीआईएन अथवा यूआईएन, यदि पंजीकृत हो
(iv) वस्तुओं का एचएसएन कोड और विवरण
(v) मात्रा [अनंतिम, जहां आपूर्ति की जाने वाली सटीक मात्रा ज्ञात न हो]
(vi) कर योग्य मूल्य
(vii) कर की दर और कर की राशि- केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्यक्षेत्र कर अथवा उपकर, जहां परिवहन माल पाने वाले को आपूर्ति के लिए किया जा रहा है
(viii) आपूर्ति का स्थान, अंतरराज्यिक परिवहन के मामले में, और
(ix) हस्ताक्षर

वस्तुओं की आपूर्ति के मामले में सुपुर्दगी चालान निम्नलिखित प्रकार से तीन प्रतियों में बनाया जाएगा:

(क) मूल प्रति पर माल पाने वाले के लिए मूल प्रति अंकित किया जाएगा
(ख) दूसरी प्रति पर परिवाहक के लिए दूसरी प्रति अंकित किया जाएगा
(ग) तीसरी प्रति पर माल भेजने वाले के लिए तीसरी प्रति अंकित किया जाएगा

जहां वस्तुएं बीजक के स्थान पर सुपुर्दगी चालान से ले जाई जा रही हों वहां इन्हें फॉर्म [मार्गपत्रक] में घोषित किया जाएगा।
जहां ले जाई जा रही वस्तुएं प्राप्तकर्ता को आपूर्ति के उद्देश्य से हैं परंतु आपूर्ति के उद्देश्य से वस्तुओं को हटाते समय कर बीजक जारी नहीं किया जा सका, वहां आपूर्तिकर्ता वस्तुओं की सुपुर्दगी के बाद एक कर बीजक जारी करेगा।

जहां वस्तुएं कुछ बड़े भागों में अथवा पूरी तरह से छोटे-छोटे भागों में ले जाई जाती हैं:

(क) आपूर्तिकर्ता पहली खेप भेजने से पहले पूर्ण बीजक जारी करेगा;
(ख) आपूर्तिकर्ता बाद में सभी खेपों के लिए उपर्युक्त बीजक का संदर्भ देते हुए एक सुपुर्दगी चालान जारी करेगा;
(ग) प्रत्येक खेप में बीजक की यथोचित रूप से प्रमाणित प्रति के साथ संगत आपूर्ति चालान की प्रतियां साथ में भेजी जाएंगी;
(घ) अंतिम खेप के साथ बीजक की मूल प्रति भेजी जाएगी।